शासन सचिव ने प्री वेटरिनरी टेस्ट को पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए

शासन सचिव पशु पालन डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

■ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी और मेरिट के आधार पर हो

जयपुर । शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, (राजूवास) बीकानेर/जोबनेर, जयपुर के संघटक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालयों एवं संबद्ध वेटरिनरी कॉलेजों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से अगस्त में आयोजित होने वाले राजस्थान प्री वेटरिनरी टेस्ट पर चर्चा हुई। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि यह परीक्षा पूर्ण रूप से निष्पक्ष, कदाचार रहित और पारदर्शी तरीके से करवाना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की अनियमितता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा और प्रवेश की पूरी प्रक्रिया केंद्रीकृत होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है अगर ऐसा मामला कहीं भी सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान प्री वेटरिनरी टेस्ट की परीक्षा 3 अगस्त को प्रदेश के चार शहरों उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के 33 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि इन केंद्रों पर शुचितापूर्ण परीक्षा की सारी माकूल व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने राजूवास को निर्देश दिए कि परीक्षा से पहले मानक संचालन प्रक्रिया जारी हो जानी चाहिए। डॉ शर्मा ने सीटों की हेराफेरी करनेवालों को रोकने के लिए एक सेल गठित करने के निर्देश दिए और कहा कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार रहित होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालनकर्ता कॉलेजों की संबद्धता तभी करें जब वे राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद के सभी मानकों को पूरा करते हों। डॉ शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद के मानदंडों पर काम करना होगा इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 जुलाई तक सभी कॉलेजों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस वेबसाइट पर, अध्यापकों की पारदर्शी सूची प्रदर्शित करने आदि नियमों का पालन करना होगा अन्यथा कॉलेजों की असंबद्धता के लिए राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद को अनुशंसा भेज दी जाएगी।

उन्होंने सभी कॉलेजों को सभी प्रकार के उपकरण और औजार की उपलब्धता और उनका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि कॉलेज के संचालन में भी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए कि पूरे सत्र का कैलेंडर पूर्व में ही तैयार करें और उसकी अनुपालना भी सुनिश्चित करें साथ ही सत्र समयपर प्रारंभ हों और समय पर समाप्त हों ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।

बैठक में शासन उपसचिव संतोष करोल, राजुवास के प्रो वाइस चांसलर डॉ हेमंत दाधीच, डॉ ब्रजनंदन श्रृंगी, निदेशक शोध, डॉ प्रकाश, डॉ अशोक डांगी, डॉ साकार पालेचा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

जर्जर भवनों एवं संरचनाओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने सख्त निर्देश दिये

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिले में स्थित जर्जर एवं खतरनाक भवनों तथा संरचनाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में ऐसे भवन आमजन की जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, अतः इन्हें प्राथमिकता से चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त किया जाए। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर आमजन के आवास, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय भवन सहित ऐसे सभी भवनों की सूची तैयार की जाए, जो उपयोग में होने के बावजूद बेहद जर्जर हालत में हैं। ऐसे मामलों में भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर नियत समय में भवन खाली कराने की कार्रवाई की जाए।

जिला कलक्टर ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि वे स्वयं अथवा किरायेदार के रूप में किसी पुराने, जर्जर या असुरक्षित भवन में रह रहे हैं, तो शीघ्र उस भवन को खाली कर लें। जन सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में जिला प्रशासन सजग और संकल्पित है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और संभावित जोखिम वाले भवनों के संबंध में नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

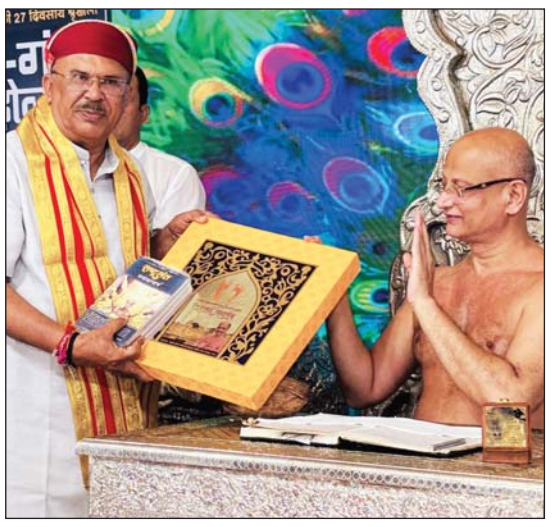

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को उदयपुर में आचार्य पुलक सागर की 27 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला में पहुँचकर उनसे आशीर्वाद लिया, देवनानी ने कहा कि आचार्य पुलक सागर के प्रेरणादायी विचारों से आध्यात्म, संयम, सदाचार एवं आत्मशुद्धि की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि ओजस्वी प्रवचनों ने जनमानस मेंआध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों के प्रति नई ऊर्जा का संचार भी होता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झालावाड के पीपलोदी स्कूल हादसे पर संवेदना व्यक्त की

जयपुर । झालावाड़ जिले के पीपलोदी क्षेत्र में हुए विद्यालय भवन हादसे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि यह एक अत्यंत पीड़ादायक घटना है और पूरा भाजपा परिवार शोकसंतप्त परिजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस कठिन समय में हर संभव संबल और सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दुखी परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस हादसे की तत्काल जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सीईओ, जिला परिषद झालावाड़, एसडीएम मनोहरथाना और अधीक्षण अभियंता झालावाड़ को शामिल किया गया हैं। जांच समिति शीघ्र ही दुर्घटना के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही सभी जिलों और विद्यालयों को भवनों की स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सभी जर्जर भवनों को चिह्नित कर सुरक्षित रूप से ध्वस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी स्थानीय निकायों को पत्र जारी किए गए है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस दुखद समय में राजनीति करना निंदनीय है। हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करना चाहिए। जो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वे स्वयं कभी शिक्षा मंत्री रहे हैं। डोटासरा को ध्यान रखना चाहिए कि यह भवन काफी पुराना बना हुआ है, लेकिन यह समय राजनीति का नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों में सक्रिय सहयोग किया। चिकित्सा व्यवस्था पर राठौड़ ने बताया कि सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेज दी है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने पहले भी समय-समय पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। यह घटना अत्यंत दुखद है और हमने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, जिसका दुख हम सबके मन में है।

हेरिटेज निगम 26 जुलाई को मनाएगा सिंजारा तीज महोत्सव

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज जयपुर की ओर से 26 जुलाई शनिवार को सिंजारा तीज महोत्सव आयोजन किया जाएगा। हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में आदर्श नगर में होने वाले इस आयोजन में शहरवासियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए जाएंगे। सिंजारा तीज महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया जाएगा। जिसमें कई प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मेंहदी प्रतियोगिता, साफा बंधाई प्रतियोगिता, लहरिया प्रतियोगिता, बनी ठनी प्रतियोगिता का आयोजन शहरवासियों के लिए किया जाएगा। इन आयोजन में नगर निगम हेरिटेज के समस्त चेयरमैन, पार्षद, निगम अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे। वहीं हरियाली तीज के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

इत्तलानामा बनाम रेस्पोडेन्ट
न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर (संभाग जयपुर) राजस्थान
अपील नंबरी मुतफरिक या इजराय : 236/2014/00015
डिग्री नं....सन...बिनाराजी
तजबीज....अदालत
मुकाम...मुकाम....मवरिखा....सन...
भारत संघ वगैरह अपीलान्ट
बनाम
जे.डी.ए. वगैरह रेस्पोडेन्ट
बनाम गुलाब बाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. रजिस्ट्रेशन नंबर 2564/एल जरिये अध्यक्ष शिव विजय शर्मा, पता-चार नंबर डिस्पेन्सरी के पास, सोडाला, जिला जयपुर, राजस्थान मुत्तिला हो कि अपील बिनाराजी डिक्री व तारीख....इस मुकदमें में.....में पेश किया है और अदाल की तजबीज 05 माह 08 सन् 2025 ई. वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई है, अगर खुद आप या आपके वकील या कोई सख्श जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब व सवालत करने का माजज हो हाजिर न आवेगा, तो उसकी समाअत और की जायेगी। आज तारीख 22 माह 07 सन् 2025 ई. मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर अदालत
आदेशानुसार-रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

देवनानी का शहीदों को नमन किया

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन उन वीर सपूतों की याद में समर्पित है जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाया और भारत की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी

■ डीजे कोर्ट प्रशासन ने कर्मचारियों को काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की

जयपुर। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश शुक्रवार को भी जारी रहा। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में डीजे कोर्ट प्रशासन ने कर्मचारियों को काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है।कर्मचारी संघ के संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि हमारे आंदोलन को कई वकील संगठनों का समर्थन मिला है। जब तक कैडर पुनर्गठन को लेकर चल रही हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम सामूहिक अवकाश जारी रखेंगे। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने दो साल पहले कैडर पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्य सरकार अभी तक उस पर निर्णय नहीं कर पाई है।

जबकि दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन पूर्व में ही किया जा चुका है। इसके अभाव में न्यायिक कर्मचारियों को हर माह हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ पदोन्नित भी समय पर नहीं हो पा रही है।

पुलिस ने 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

जयपुर। करणी विहार थाना पुलिस ने हार्डकोर, एचएस, गैंग के सक्रिय बदमाश, भगोडे, फरार अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें 05 स्थायी वारंटी, 02 आर्म्स एक्ट और धारा 170 बीएनएसएस में एचएस सहित 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान की ओर से 31 जुलाई तक चलाये जा रहे विशेष अभियान हार्डकोर, एच.एस. गैंग के सक्रिय सदस्य, वांछित अपराधी एवं भगौड़े जो क्षेत्र में अपराध करते रहते हैं, इन वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समस्त थानाधिकारी जयपुर पश्चिम को निर्देशित किया गया था। जिसके चलते करणी विहार पुलिस के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम प्रमोद कुमार से बदलकर प्रमोद कुमार केसवानी कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये, पता-75/29 टैगोर लेन, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर-302020

मै आर्मी नं. 15159842K बी.एच.एम. (गनर) सुब्रत मंडल यूनिट 199 मध्यम तोप खाना है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरे पत्नी का नाम मोनकीया माजी (Monkia Maji) है जो गलत है। मेरे पत्नी का सही नाम मोनीका मंडल (Monika Mondal) है।

मैं, अदिति खंडेलवाल, पुत्री विजय राजदान, निवासी 110, इन्द्रा कॉलोनी, बानी पार्क, जयपुर, यह घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम अदिति खंडेलवाल से बदलकर अदिति राजदान कर लिया है। अब से मैं सभी कानूनी और आधिकारिक कार्यों हेतु अदिति राजदान नाम से जानी जाऊँगी।

मैं, 15433049W हवलदार राजीव रंजन कुमार सिंह निवासी एम.एच. जयपुर ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष दिनांक 24.07.2025 को दिए गए हलफनामे के माध्यम से अपनी माता का नाम ज्ञानमाला देवी से बदलकर ज्ञानी देवी कर लिया है।

I, Chauhan Komalben Rameshbhai spouse of No. 8038990X LNK (GD) Gohel Ravindrakumar Rameshbhai resident of Vill: Keshod, Po: Keshod, Teh: Keshod, PS: Keshod, Dist: Junagadh, State: Gujarat, PIN-302220 have changed my name from CHAUHAN KOMALBEN RAMESHBHAI to GOHEL KOMALBEN RAVINDRAKUMAR Vide affidavit No. CD547719 date 23.07.2025.

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री नाथू लाल शर्मा पुत्र श्री गोपी लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी जोशियों का मोहल्ला, पुरानी टोंक, टोंक- 304001 (राज.) स्वयं की पत्नी अर्थात श्रीमती श्याम लता शर्मा पत्नी श्री नाथू लाल शर्मा के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं. ए 51, 52, आजाद नगर-ए, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर (राज.) जिनका कुल क्षेत्रफल 350 वर्गगज है जो कि निर्मित अवस्था में है तथा जिसे मेरे मुवक्किल श्री नाथू लाल शर्मा एवं उनकी पत्नी श्री श्याम लता शर्मा एवं इनके पुत्र श्री बनवारी शर्मा पुत्र श्री नाथू लाल शर्मा ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिनके ऋण खाता (1) ऋण खाता संख्या 520781128 (2) ऋण खाता संख्या 529536585 एवं (3) ऋण खाता संख्या 529673590 है, उक्त श्रीमती श्याम लता शर्मा पत्नी श्री नाथू लाल शर्मा का स्वर्गवास 28.03.2012 को हो चुका है, श्रीमती श्याम लता शर्मा पत्नी श्री नाथू लाल शर्मा के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान में मेरे मुवक्किल श्री नाथू लाल शर्मा पुत्र श्री गोपी लाल तथा मेरे मुवक्किल के दो पुत्र क्रमशः (1) श्री बनवारी शर्मा पुत्र श्री नाथू लाल शर्मा (2) श्री गिरधारी पुत्र श्री नाथू लाल एवं मेरी मुवक्किल की एक पुत्री श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी श्री ललित मोहन गौड़ पुत्री श्री नाथू लाल शर्मा है। इनके अलावा श्रीमती श्याम लता शर्मा पत्नी श्री नाथू लाल शर्मा का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नही है, चूकि मेरे मुवक्किल एवं उनकी पत्नी श्रीमती श्याम लता शर्मा एवं इनके पुत्र श्री बनवारी शर्मा पुत्र श्री नाथू लाल शर्मा के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरी मुवक्किल स्वयं की पत्नी अर्थात श्रीमती श्याम लता शर्मा पत्नी श्री नाथू लाल शर्मा के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पत्ति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी- 25, भगवान दास रोड़, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहते है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी। **(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट,** 6/48, मालवीय नगर, जयपुर-302017, मो.9829218044

झालावाड़ हादसे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जताया दुःख

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हुई जनहानि को दुःखद और अत्यंत व्यथित करने वाली बताया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली है। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा है।

आम सूचना सभी जन साधारण को मेरे मुवक्किलान 1. श्रीमती शमीम बानो, 2. मोहम्मद इमरान, 3. असरार अहमद निवासीगण जयपुर के पास से एक असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मकान संख्या 662, लवाण का घेर, चौकडी गंगापोल, जयपुर दिनांकित 17.07.2007 कहीं खो गया है उक्त असल विक्रय पत्र यदि किसी को मिले तो कृपया मेरे कार्यालय में सूचित कर देवे।
जयपुर (शमी अली), एडवोकेट
दिनांक मो. नंबर-9828075086

खोया पाया
मैं पृथ्वी सिंह राठौड पुत्र स्वर्गीय राम सिंह राठौड निवासी ए-134, मंगल विहार कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर का हूँ की मेरी प्रॉपर्टी प्लॉट 33 गोकुलेश नगर निवारू रोड जयपुर का आवंटन पत्र, साइट प्लान, रीसद राधा देवी शर्मा पत्नि रामराज शर्मा के नाम से थे कही गुम हो गए मिलने पर सूचित करें-6375008987

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:5769 जाहिर आम-सूचना दिनांक:24.07.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 34/342 (MIG-B) (एरिया 98.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का आवंटन श्री नरेन्द्र स्वरूप खन्ना पुत्र श्री रामकृष्ण खन्ना को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2669 दिनांक 19.02.1996 को जारी किया गया था। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 01.03.1997 को प्राप्त किया गया। श्री नरेन्द्र स्वरूप खन्ना की मृत्यु दिनांक 29.05.2021 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती रेखा खन्ना पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र स्वरूप द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबतं आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती रेखा खन्ना पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र स्वरूप का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

पप्रत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 390/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री किशन बैरवा पुत्र श्री राम लाल बैरवा निवासी ए/259, जे.डी.ए. मालवीय नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास बैरवा शिक्षा प्रचार एवं सहायतार्थ समिति कार्यालय पता 72, बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 26.9.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

आबकारी निरोधक टीम ने 60 कार्टून अवैध शराब बरामद कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया

जयपुर । आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक टीम जयपुर शहर व ग्रामीण की संयुक्त कार्यवाही में नकली होलोग्राम की 60 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई एवं पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जयपुर ने बताया कि जयपुर में नकली होलोग्राम की अवैध शराब जब्त की गई। आबकारी निरोधक दल द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से स्कॉर्पियो वाहन से 30 कार्टन नकली होलोग्राम की देशी शराब बरामद की गई। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूटी से 6 कार्टन देशी शराब 288 पव्वे बरामद किए। झोटवाड़ा क्षेत्र में 305 पव्वे आरएमएल शराब एवं दादी का फाटक जयपुर क्षेत्र से 26 पव्वे घूमर ब्रांड अवैध शराब बरामद की गई। उक्त कार्यवाही में मुकेश जांगिड़, अर्जुन सिंह, राकेश जाट, वरूण सिंह, राजू यादव को गिरफ्तार किया गया।

नकली होलोग्राम की 60 कार्टन अवैध शराब सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया ।

आबकारी निरोधक दल की उक्त कार्यवाही से मिली सूचना के आधार पर चौमू में भी 2 अलग- अलग कार्यवाही में 23 कार्टन एवं 121 अवैध शराब के पव्वे बरामद किए गए। चौमू में एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही उपायुक्त आबकारी निरोधक दल जयपुर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी देविका तोमर, सहायक आबकारी अधिकारी शिवकुमार सिंह, प्रदीप बिश्नोई, आबकारी निरीक्षक जयपुर जितेन्द्र सिंह शेखावत, आबकारी निरीक्षक चाकसू गगन यादव, प्रहराधिकारी नरेन्द्र सिंह द्वारा मय जाब्ता की गई।

युगांडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को मिला जैफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा

जयपुर । युगांडा में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाला संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज अब अपने गौरवपूर्ण सफर के एक नए और ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है। अगस्त 2014 में शुरू हुआ यह सफर अब जैफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो गया है। युगांडा सरकार द्वारा हाल ही में इसे आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय का लाइसेंस प्रदान किया गया है, जो संस्थान की शैक्षिणक गुणवत्ता, सामाजिक प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। संस्थान के चांसलर डॉ. विकास जैफ ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज की नींव वर्ष 2016 में रखी गई थी। इसी वर्ष डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के साथ संस्थान ने व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में अपने पहले कदम बढ़ाए। वर्ष 2017 में संस्थान ने नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। वर्ष 2018 में फार्मेसी और क्लिनिकल मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए, जिससे संस्थान की शैक्षिणक और व्यावसायिक विविधता में वृद्धि हुई।

युगांडा जैसे विकासशील देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज ने न केवल पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया, बल्कि छात्रों के समग्र विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी बल दिया। यही कारण रहा कि वर्ष 2023 तक संस्थान में छात्र नामांकन की संख्या 1300 तक पहुँच गई, जो इसकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। संस्थान की उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब वर्ष 2024 में युगांडा की प्रथम महिला और देश की शिक्षा व खेल मंत्री जनेट मुसेवेनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज को बेस्ट टेरशरी इंस्टीट्यूट के रूप में सम्मानित किया। यह सम्मान संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने इसके प्रयासों को नई प्रेरणा दी। इसके बाद वर्ष 2025 में युगांडा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल तथा युगांडा काउंसिल ऑफ़ आलाइड हेल्थ साइंसेस द्वारा भी संस्थान को पुनः सम्मानित किया गया, जिससे इसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ी।

इन 11 वर्षों में संस्थान ने जो उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, वे केवल एक शैक्षिणक संस्था की नहीं बल्कि संकल्प, सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल हैं। चांसलर डॉ. जैफ ने इस अवसर पर कहा कि जैफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की सफलता का सफर ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ हमारी टीम, विद्यार्थियों, फैकल्टी, अभिभावकों और शुभचिंतको की भी है। यह यात्रा परमपिता परमेश्वर के मार्गदर्शन और दिव्य आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी। अब हम विश्वविद्यालय के रूप में और भी अधिक उत्तरदायित्व और उत्साह के साथ काम करेंगे। जैफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का यह नया रूप वैश्विक स्वास्थ्य शिक्षा जगत में एक प्रेरणास्पद मॉडल के रूप में उभरता जा रहा है, जिसकी जड़ें भारतीय मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण से पोषित हैं।

निष्क्रिय सरस बूथ होंगे रद्द

जयपुर। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) ने शहरभर में वर्षों से निष्क्रिय पड़े सरस बूथों को समाप्त करने और उन्हें योग्य एवं इच्छुक नव-आवेदकों को पुनः आवंटित करने के उद्देश्य से एक ठोस शुरुवात की है। जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार जानकारी देते हुए बताया कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बिना सक्रिय संचालन की मंशा के बूथों का आवंटन करवाया गया, जो लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे निष्क्रिय बूथ न केवल सरस उत्पादों की नियमित बिक्री को प्रभावित करते हैं, बल्कि सड़क पर अनावश्यक अतिक्रमण कर यातायात में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण जयपुर डेयरी ने अब इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसे "कठोर कार्रवाई" के रूप में लिया है ताकि शहर की सुंदरता एवं व्यवस्था दोनों को संरक्षित किया जा सके।

प्रथम चरण में ऐसे 54 निष्क्रिय बूथों की पहचान कर ली गई है और इनके आवंटन को निरस्त करने के लिए नगर निगम को पत्र भेजा गया है। आगे की प्रक्रिया में नगर परिषद के सहयोग से इन सभी निष्क्रिय और उपयोगहीन बूथों को शहर से हटाया जाएगा। यह न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी अवसर खोले